

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 129 / 2021

दिनांक : 07.08.2021

**श्रीमती आशा गुनपाल (RJ1095)**, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा (राजसमन्द) को दिनांक 16.08.2021 से 27.08.2021 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.08.2021 से 15.08.2021 एवं 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**श्री अंकित परिहार (RJ1091)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा (राजसमन्द) को श्रीमती आशा गुनपाल के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा (राजसमन्द) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री अंकित परिहार (RJ1091), जिनको न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा (राजसमन्द) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,  
06.08.2021  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/83/2016/5098

दिनांक : 07.08.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द को उनके पत्रांक 3243 दिनांक 19.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आशा गुनपाल (RJ1095), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा (राजसमन्द)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा (राजसमन्द)।
5. श्री अंकित परिहार (RJ1091), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा (राजसमन्द)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा (राजसमन्द)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

7.8.2021  
सहायक रजिस्ट्रार